



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082025-265218
CG-DL-E-06082025-265218

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3507]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 2025/श्रावण 14, 1947

No. 3507]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 2025/SHRAVANA 14, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

का.आ. 3593(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 26 (इ), दिनांक 31 दिसंबर 2024, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या. 24 दिनांक 3 जनवरी 2025, में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कृष्णापटनम, एस.पी.एस.आर- नेल्लोर, आंध्र प्रदेश से हैदराबाद - तेलंगाना राज्य तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए कृष्णापटनम - हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की दिनांक से केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील : संथनुथलापाडु		जिला : प्रकाशम		राज्य : आंध्र प्रदेश	
गाँव का नाम	सर्वे नम्बर	उप-खण्ड नम्बर	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
1	2	3	4		
मन्गामुर	36	1	00	15	21
	40	--	00	44	10
	42	--	00	00	60
	43	--	00	22	26
	53	2सी	00	18	75
	45-डोंका	--	00	03	78
	214	--	00	16	20
	216	--	00	29	56
	213	1	00	03	92
	217	--	00	51	40
	199	--	00	31	21
	198	--	00	00	82
	222	--	00	00	69
	223	--	00	09	37
पेरनामेट्टा	350	3	00	09	88
	427	--	00	00	25
	429	1	00	17	01
	429	2	00	06	25
	430	1	00	06	92

गाँव का नाम	सर्वे नम्बर	उप-खण्ड नम्बर	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
1	2	3	4		
	430	2	00	07	77
	435	--	00	34	62

[फा. सं. आर-11025(15)/1/2021-ओआर-1-भाग(1)/ई-52369]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th August, 2025

S.O. 3593(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. NO.26(E) dated 31st December, 2024 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No.24 - 3rd January, 2025, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Krishnapatnam - Hyderabad Pipeline for transportation of Petroleum products from Krishnapatnam, (SPSR Nellore, Andhra Pradesh) to Hyderabad (Telangana) by Bharat Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land, specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of the publication of the declaration, in Bharat Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.

Bharat Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal : Santhanuthalapadu

District : Prakasam

State : Andhra Pradesh

Name of the Village	Survey No.	Sub-Divi-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4		
Mangamur	36	1	00	15	21
	40	--	00	44	10

	42	--	00	00	60
	43	--	00	22	26
	53	2C	00	18	75
	45 – Donka	--	00	03	78
	214	--	00	16	20
	216	--	00	29	56
	213	1	00	03	92
	217	--	00	51	40
	199	--	00	31	21
	198	--	00	00	82
	222	--	00	00	69
	223	--	00	09	37
Pernamitta	350	3	00	09	88
	427	--	00	00	25
	429	1	00	17	01
	429	2	00	06	25
	430	1	00	06	92
	430	2	00	07	77
	435	--	00	34	62

[F. No. R-11025(15)/1/2021-OR-I-Part(1)/E-52369]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.